"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 169] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 जून 2010—ज्येष्ठ 25, शक 1932

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2010

आदेश

क्रमांक 5905/1512/21-ब/छ. ग./2010.—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/1989, आल इंडिया जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य [2002 ए.आई.आर.एस.सी.डब्ल्यू 1706=(2002)[4] एस.सी.सी. 247] में पारित अंतरिम आदेश क्र. 244 दिनांक 28-04-2009 के द्वारा तथा प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेट्टी वेतन आयोग) के प्रतिवेदन के आधार पर गठित एक सदस्यीय न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) आयोग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट दि. 17-7-2009 की अनुशंसाओं को स्वीकार करते हुए तथा उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दि. 4-5-2010 के अनुपालन में, न्यायमूर्ति ई. पद्मनाभन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने हेतु, राज्य के न्यायिक अधिकारियों के दिनांक 1-1-2006 को वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उन न्यायिक अधिकारियों जो दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है :—

(1) सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को देय पेन्शन उसकी सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50 प्रतिशत होगा, जो सारिणी 2 और 3 के अनुसार होगा.

परन्तु पेन्शन के पुनरीक्षण एवं पुनर्निर्धारण के समय विद्यमान पेन्शन का निम्नानुसार पहले समेकन किया जायेगा,—

(I) दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान पेन्शन,
(II) दिनांक 1-1-2006 को महंगाई पेन्शन,
(III) दिनांक 1-1-2006 को विद्यमान मूल पेन्शन और महंगाई पेन्शन पर विद्यमान दर से महंगाई राहत.

(2) पुनरीक्षित पेन्शन, कंडिका (1) में उल्लेखित अनुसार पुनरीक्षित वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा उपरोक्तानुसार निर्धारित समेकित पेन्शन, जो भी अधिक हो होगा.

(3) विद्यमान वेतनमान तथा पुनरीक्षित वेतनमान सारिणी 2 एवं 3 के अनुसार होगा, जो निम्नानुसार है :—

सारणी-2

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)
1.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 प्रवेश स्तर)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850
3.	कनिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल यदि वरिष्ठ सिविल जज के रूप में पदोन्नत न हो)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
4.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
5.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (प्रथम स्टेज ए.सी.पी. स्केल)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
6.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (चयन श्रेणी) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
7.	वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश (द्वितीय स्टेज ए.सी.पी. स्केल यदि उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश की श्रेणी में पदोन्नत न हो)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070

सारणी-3

क्र. (1)	पदनाम (2)	विद्यमान वेतनमान (3)	पुनरीक्षित वेतनमान (4)
1.	जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070
2.	जिला न्यायाधीश (चयन स्तर)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान)	22850-500-24850	70290-1540-76450

(4) पेन्शन की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी.

(5) महंगाई राहत की दर वही होगी जिस दर पर सेवारत न्यायिक अधिकारियों को महंगाई भत्ता देय है.

(6) परिवार पेन्शन का भी पुनरीक्षण किया जायेगा, जो पेन्शनर के सेवानिवृत्ति के समय धारित पद के पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन का न्यूनतम 30 प्रतिशत होगा.

(7) पेन्शन का पुनरीक्षण दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील होगा और उन न्यायिक अधिकारियों के लिये लागू होगा, जो दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी मृत्यु हुई है.

(8) यह आदेश दिनांक 01-01-2006 से लागू माना जायेगा.

उक्त संदर्भ में वित्त विभाग की स्वीकृति यू.ओ. क्रमांक 29496-बी-3/4/10 दिनांक 28-4-2010 एवं यू.ओ. क्रमांक 216/29496/वि.वि./बी-3/2010 दिनांक 11 जून, 2010 के द्वारा प्रदान की गई है.

Raipur, the 14th June 2010

ORDER

No. 5905/1512/21-B/C.G./2010.—Hon'ble Supreme Court of India, in an interlocutory application No. 244 in W.P. (C) No. 1022/1989 All India Judges Association and others Vs Union of India and others [2002 AIR SCW 1706=(2002)[4] SCC 247] passed an order on 28-04-2009 and thereby constituted one man commission headed by Mr. Justice E. Padmanabhan (Rtd.) to revise the pay scales and allowances of judicial officers of all the states of India as per recommendation of First National Judicial Pay Commission (Shetty Pay Commission) and accepting the recommendations of aforesaid one man commission submitted on 17-07-2009 Hon'ble Supreme Court of India vide its order dated 04-05-2010 directed all the State Governments to issue necessary orders to implement the aforesaid E. Padmanabhan Commission Report. Accordingly to implement the recommendation of report of E. Padmanabhan Commission and in compliance of Hon'ble Supreme Court's aforesaid order dated 04-05-2010, pursuant to revision of pay of the Juducial Officers of the State as on 1-1-2006, the State Government issues following order in respect of those Judicial Officers who retired prior to 1-1-2006 :—

1. The revised pension of the retired Judicial Officers should be 50% of the minimum pay of the revised pay scale of the post held by him at the time of the retirement, which shall be as Schedule 2 and 3:

   Provided that at the time of revision and re-fixation, the existing pension shall be consolidated first as follows :—

   (i) Existing Pension as on 1-1-2006,

   (ii) Dearness Pension as on 1-1-2006.

   (iii) Dearness Relief at prevalent rate on both the existing Basic Pension and Dearness Pension as on 1-1-2006.

2. The revised pension shall be fixed at minimum 50% of the revised pay as mentioned in para (1) or consolidated pension as calculated above, whichever is higher.

3. Existing scale of pay and revised scale of pay will be as per Schedule 2 and 3, which is as follows :—

TABLE-2

S. No. (1)	Name of Post (2)	Existing Pay Scale (3)	Revised Pay Scale (4)
1.	Civil Judge (Junior Division) Civil Judge Class II (Entry Level)	9000-250-10750-300-13150-350-14550	27700-770-33090-920-40450-1080-44770
2.	Civil Judge (Junior Division) First Stage of A.C.P. Scale	10750-300-13150-350-14900	33090-920-40450-1080-45850
3.	Civil Judge (Junior Division) Second Stage of A.C.P. Scale if not promoted as Senior Civil Judge	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
4.	Senior Civil Judge (Civil Judge Class I)	12850-300-13150-350-15950-400-17550	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010
5.	Senior Civil Judge (First Stage of A.C.P. Scale)	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
6.	Senior Civil Judge (Selection Grade) C.J.M./A.C.J.M.	14200-350-15950-400-18350	43690-1080-49090-1230-56470
7.	Senior Civil Judge (Selection Scale) Second stage of A.C.P. scale if not promoted to the Cadre of District Judge in H.J.S.	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070

TABLE-3

S. No. (1)	Name of Post (2)	Existing Pay Scale (3)	Revised Pay Scale (4)
1.	District Judge (Entry Level)	16750-400-19150-450-20500	51550-1230-58930-1380-63070
2.	District Judge (Selection Grade)	18750-400-19150-450-21850-500-22850	57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290
3.	District Judge (Super Time Scale)	22850-500-24850	70290-1540-76450

4. There should not be any ceiling limit on the pension.

5. The Dearness Relief shall be at the rates as are applicable to the serving Judicial Officers.

6. The Family Pensions shall be revised and re-fixed at minimum 30% of the pay of the pay scale of the post held by the Pensioner at the time of retirement in the revised pay scales.

7. The revision in pension shall come into effect from 1-1-2006 and will be applicable to the Judicial Officers who have retired or died prior to 1-1-2006.

8. This order shall be applicable from 1-1-2006.

This sanction has been accorded by the Finance Department vide U.O. No. 29496-B-3/4/10 dated 28-4-2010 and U.O. No. 216/29496/F.D/B-3/2010 dated 11th June, 2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.